रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241334 CG-DL-E-23122022-241334

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5745] No. 5745] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5983(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तहसील-पानीपत, जिला- पानीपत, राज्य- हरियाणा मे बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित है, और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसुची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमे उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री बलराज सिंह, सक्षम प्राधिकारी, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, पानीपत रिफाइनरी के पास, बाहोली, पानीपत-132140, हरियाणा को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

8554 GI/2022 (1)

अनुसूची

जिला - पानीपत

राज्य– हरियाणा

तहसील का नाम	गांव का नाम	मुस्तिल नं.	किला नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पानीपत	ददलाना	76	19/2	00	01	06
		76	21	00	01	33
		76	22	00	12	36
		76	23	00	12	17
		76	24	00	00	39
		77	4	00	07	04
		77	5	00	13	19
		77	6	00	00	53
		78	1	00	01	53
		78	10	00	12	20
		78	9	00	10	05
		78	8	00	00	10
		78	12/1	00	00	10
		78	12/2	00	01	49
		78	12/3	00	02	19
		78	13	00	13	52
		78	14	00	00	93
		78	18/1	00	02	62
		78	17	00	03	71
		78	24/1	00	05	00
		78	23/1	00	00	10
		87	4/1	00	07	61
		87	4/2	00	03	35
		87	7	00	10	96
		87	14	00	10	96
		87	17	00	10	96
		87	24	00	05	89

[फा. सं. R-11017/6/2022-ओआर-II/E-45116]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2022

S.O. 5983(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Crude Oil Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in Tehsil-Panipat of Panipat District in the State of Haryana.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty—one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Balraj Singh, Competent Authority, New Mundra Panipat Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Northern Region Pipelines, Near Panipat Refinery, Baholi Panipat- 132140, Haryana.

SCHEDULE

District:- Panipat

State :- Haryana

Name of Tehsil	Name of Village		Survey No.	Area		
		Mustil No.		Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panipat	Dadlana	76	19/2	00	01	06
		76	21	00	01	33
		76	22	00	12	36
		76	23	00	12	17
		76	24	00	00	39
		77	4	00	07	04
		77	5	00	13	19
		77	6	00	00	53
		78	1	00	01	53
		78	10	00	12	20
		78	9	00	10	05
		78	8	00	00	10
		78	12/1	00	00	10
		78	12/2	00	01	49
		78	12/3	00	02	19
		78	13	00	13	52
		78	14	00	00	93
		78	18/1	00	02	62
		78	17	00	03	71
		78	24/1	00	05	00
		78	23/1	00	00	10
		87	4/1	00	07	61
		87	4/2	00	03	35
		87	7	00	10	96
		87	14	00	10	96
		87	17	00	10	96
		87	24	00	05	89

[F. No. R-11017/6/2022-OR-II/E-45116]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.